आवश्यक

संख्या: 25/2019/2348/12-2-2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2019

विषय: प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) लागू किए जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने एवं वृद्धावस्था में उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से स्वैच्छिक रूप से पुरूष और स्त्री दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रूपये 3000/- की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन योजना के रूप में प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन स्कीम है और इसमें शामिल होने की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष है।

2. पीएम-केएमवाई एक केन्द्रीय योजना है, जिसका संचालन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एल0आई0सी0) की भागीदारी से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाईन के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं:-

(i) एल0आई0सी0 पेंशन निधि प्रबंधक होगी और पेंशन का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ii) यह अपवर्जक मानदण्डों (अपात्रता की श्रेणी) के अधीन प्रदेश के सभी भू-धारक लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए स्वैच्छिक और आवधिक (Periodic Contribution) योगदान आधारित पेंशन प्रणाली है।

(iii) लघु एवं सीमान्त किसानों के पास सीधे पीएम-किसान से प्राप्त वित्तीय लाभ से स्कीम में अपने स्वैच्छिक योगदान का भुगतान करने की अनुमति देने का विकल्प होगा।

(iv) जो पात्र लघु और सीमान्त किसान पीएम-केएमवाई के लिए योगदान देने के लिए पीएम-किसान लाभ का उपयोग करने के इच्छुक हैं, को अपने बैंक खातों से ऑटो-डेबिट हेतु सहमति देने के लिए नामांकन सह-ऑटो-डेबिट मैण्डेट फार्म पर हस्ताक्षर करके जमा करेंगे ताकि उनके अंशदान का स्वत: ही भुगतान हो सके।

(v) पात्र लघु और सीमान्त किसान, जो पीएम-किसान के लाभार्थी नहीं हैं अथवा जिन्होने पीएम-किसान के लाभ से भुगतान की अनुमति हेतु अपनी सहमति नहीं दी है, एक पंजीयक-सह-स्वत: डेबिट मैण्डेट फार्म प्रस्तुत करके उन बैंक खातों से आटो डेबिट हेतु अपनी सहमति देंगे, जिसका सामान्य तौर पर वे बैंक लेन-देन में उपयोग करते हैं।

(vi) केन्द्रीय सरकार भी कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से पात्र अभिदाता द्वारा अभिदान की गई धनराशि के बराबर धनराशि का निधि में योगदान करेगी। ऐसे सह-अभिदानों को समय-समय पर अर्जित निधि के साथ निहित तारीख को पेंशन भुगतान के लिए उपयोग किया जायेगा। यदि अभिदाता निहित समय से पहले स्कीम को छोडता है तो उन्हे इस सह-अभिदान का भुगतान नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में उपार्जित निधि के साथ सह-अभिदान को पेंशन निधि में वापस अंतरित कर दिया जायेगा।

(vii) मासिक अभिदान प्रत्येक माह की उसी तारीख को देय होगा जिस तारीख को पंजीयन किया गया। लाभग्राही अपना अभिदान तिमाही, चार-माही या छमाही आधार पर भुगतान करने का भी विकल्प चुन सकता है। ऐसा अभिदान उस अवधि की उसी तारीख को देय होगा जिस तारीख को पंजीयन किया गया।

(viii) योजना के अन्तर्गत मासिक अंशदान की राशि निम्नलिखित अंशदान चार्ट के अनुसार योजना में किसानों के प्रविष्टि की आयु के आधार पर रूपये 55/- से रूपये 200/- प्रतिमाह निम्नानुसार होगी:-

प्रविष्टि आयु	अधिवर्षिता आयु	सदस्य का योगदान (रूपये)	सरकार का योगदान (रूपये)	कुल योगदान (रूपये)
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	60	100	100	200
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	60	200	200	400

(ix) निहित तिथि से पहले ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में ग्राहक के जीवन साथी के पास योजना के तहत शेष योगदान के भुगतान के द्वारा योजना को जारी रखने का विकल्प होगा, बशर्ते कि वह पहले से ही योजना का एसएमएफ लाभार्थी नहीं हो। योगदान की दर और निहित तिथि समान रहेगी। पेंशन की राशि की गणना इस प्रकार से की जायेगी जैसे कि ग्राहक निहित तिथि तक जीवित हो। हालॉकि वही पेंशन जीवन साथी को देय होगी। निहित तिथि के बाद जीवन साथी की मृत्यु होने पर पेंशन राशि को वापस पेंशन कोष में स्थानान्तरित किया जायेगा।

(x) निहित तिथि से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में यदि जीवन साथी योजना के तहत जारी रखने के विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं तो अर्जित ब्याज राशि या बचत बैंक ब्याज के साथ जो भी अधिक है, योजना के तहत देय होगा।

(xi) निहित तिथि से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में अगर कोई पति या पत्नी नहीं है, तो ग्राहकों को योगदान अर्जित ब्याज राशि या बचत बैंक ब्याज के साथ ग्राहकों का योगदान जो भी अधिक है, योजना के तहत नामित को देय होगा। बचत बैंक ब्याज और देय ब्याज के बीच अन्तर के समायोजन के बाद अर्जित ब्याज निधि के साथ सरकार द्वारा किए गए सह-योगदान, यदि कोई हो, को सरकार की पेंशन निधि में वापस जमा किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xii) यदि किसी ग्राहक की निहित तिथि के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन साथी पात्र पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते कि वह पहले से ही इस योजना का लाभार्थी न हो, और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए लागू होगी। ग्राहक एवं जीवन साथी की मृत्यु के बाद कुल राशि अर्थात ग्राहक एवं सरकार द्वारा जमा योगदान को वापस कोष में जमा किया जायेगा।

(xiii) इस योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र लघु एवं सीमान्त कृषक अपने आधार कार्ड एवं बैंक पास-बुक के साथ निकटतम कामन-सर्विस-सेन्टर पर जाकर भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाईन के अनुसार ऑन-लाईन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी करा सकते हैं।

3. ग्राहक के सही विवरण को रिकार्ड करने तथा ग्राहक की पुष्टि करने की जिम्मेदारी सीएससी-एसपीबी की होगी। यदि बाद में ग्राहक द्वारा अपने खातों से डेबिट संबंधी कोई विवाद हो तो स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार विवादों के समाधान की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से एल0आई0सी0 की होगी।

4. ग्राहकों द्वारा नियमित अंशदानों के भुगतान की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों (गाइड लाईन) के अनुसार होगी।

5. किसी भी परिस्थिति में पेंशन का रूपान्तरण नहीं किया जायेगा।

6. निम्नलिखित श्रेणी के किसानों को अपवर्जन मानदण्डों (अपात्र) के तहत रखा गया है:-

(i) राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम, कर्मचारी निधि संगठन स्कीम आदि जैसी किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में सम्मिलित लघु एवं सीमान्त किसान।

(ii) वे किसान जिन्होने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम-एसवाईएम) के लिए विकल्प चुना है।

(iii) वे किसान जिन्होने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना (पीएम-एलवीएम) के लिए विकल्प चुना है।

(iv) इसके अतिरिक्त उच्चतर आर्थिक स्थिति वाले निम्नलिखित श्रेणियों के लाभग्राही भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(क) सभी संस्थागत भू-धारक।

(ख) भूतपूर्व एवं वर्तमान संवैधानिक पदधारक।

(ग) भूतपूर्व एवं वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और भूतपर्वू और वर्तमान लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद के सदस्य और भूतपूर्व और वर्तमान नगर निगमों के मेयर एवं भूतपूर्व एवं वर्तमान जिला पंचायतों के अध्यक्ष।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) केन्द्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्र यूनिटों, केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सम्बद्ध कार्यालयों/सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के सभी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (जिनमें बहु कृत्यिक कर्मचारी/चतुर्थ श्रेणी समूह 'घ' कर्मचारी शामिल नहीं हैं)।

(ड.) वे सभी व्यक्ति जिन्होने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया।

(च) डाक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड एकाउन्टेंट और वास्तुकार जैसे पेशेवर जो पेशेवर निकायों में पंजीकृत हैं और निजी प्रैक्टिस के द्वारा अपना पेशा चला रहे हैं।

7. अपवर्जन के प्रयोजन के लिए लाभार्थी द्वारा स्वत: घोषणा किए जाने के आधार पर लाभार्थी की पात्रता को प्रमाणित किया जा सकेगा। यदि लाभग्राही उपलब्ध नहीं है तो उसके परिवार के अन्य प्रौढ सदस्य की घोषणा के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर विचार किया जा सकता है (घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न है)।

8. कृषि विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में कार्यरत समस्त अनुभागों के प्रत्येक प्राविधिक सहायक (विकास, शोध, रसायन, भूमि संरंक्षण, कृषि रक्षा आदि) के साथ ही साथ आत्मा योजना के अन्तर्गत कार्यरत खण्ड तकनीकी प्रबंधक (बी0टी0एम0) व सहायक खण्ड तकनीकी प्रबंधक (ए0टी0एम0) द्वारा प्रथम चरण में कम से कम 200 कृषकों को योजना के लाभों से अवगत कराते हुए उनका पंजीकरण कराकर योजना से लाभान्वित किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रथम चरण की कार्यवाही दिनांक 31 अगस्त, 2019 तक पूर्ण करायी जाए।

9. जनपद स्तर पर कार्मिकों को लक्ष्य के निर्धारण के समय प्रसार कार्मिकों (किसान सहायकों) को वही न्याय पंचायत आवंटित किये जायें जहॉ पर वह कार्यरत हैं तथा अन्य शाखा के ए0टी0एम0 व बी0टी0एम0 कार्मिकों को अलग-अलग एवं एक-एक न्याय पंचायत आवंटित करते हुए 200 कृषकों के पंजीकरण का लक्ष्य प्रति कार्मिक निर्धारित किया जाए। कार्मिकों को अपने प्रथम चरण के लक्ष्य की पूर्ति प्रत्येक दशा में दिनांक 31 अगस्त, 2019 तक पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। जनपदवार निर्धारित किए गए लक्ष्यों के विवरण संबंधी सूची संलग्न है।

10. योजना का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराया जाए। इस हेतु विज्ञापन/ एस0एम0एस0 तथा समस्त ब्लाक स्तरीय कार्यालयों पर नोटिस चस्पा कराते हुए व अन्य उपयोगी माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाए।

11. योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा एक गाइड-लाइन निर्गत की गयी है जिसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। यह www.pmkmy.gov.in पर भी उपलब्ध है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. यह योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसे समयबद्ध रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक: 1. भारत सरकार की गाइड लाइन्स।

2. घोषणा पत्र का प्रारूप।

3. जनपदवार निर्धारित लक्ष्य।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या: 25/2019/2348(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, कानपुर नगर।
7. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला कृषि अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी/समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाइल।
11. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
12. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना हेतु घोषणा पत्र

बिन्दु संख्या	विवरण	घोषणा/सत्यापन
क	क्या आप राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम, कर्मचारी निधि संगठन स्कीम आदि जैसी किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में सम्मिलित लघु एवं सीमान्त किसान हैं।	हॉ/नहीं
ख	क्या आपने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम-एसवाईएम) के लिए विकल्प चुना है।	हॉ/नहीं
ग	क्या आपने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना (पीएम-एलवीएम) के लिए विकल्प चुना है।	हॉ/नहीं
घ	क्या आप सभी संस्थागत भू-धारक हैं।	हॉ/नहीं
ड.	क्या आप भूतपूर्व एवं वर्तमान संवैधानिक पदधारक हैं।	हॉ/नहीं
च	क्या आप भूतपूर्व एवं वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और भूतपर्व् और वर्तमान लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद के सदस्य और भूतपूर्व और वर्तमान नगर निगमों के मेयर एवं भूतपूर्व एवं वर्तमान जिला पंचायतों के अध्यक्ष हैं।	हॉ/नहीं
छ	क्या आप केन्द्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्र यूनिटों, केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सम्बद्ध कार्यालयों/सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के सभी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (जिनमें बहु कृत्यिक कर्मचारी /चतुर्थ श्रेणी समूह 'घ' कर्मचारी शामिल नहीं हैं) हैं।	हॉ/नहीं
ज	क्या आप द्वारा पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया है।	हॉ/नहीं
झ	क्या आप डाक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड एकाउन्टेंट और वास्तुकार जैसे पेशेवर जो पेशेवर निकायों में पंजीकृत हैं और निजी प्रैक्टिस के द्वारा अपना पेशा चला रहे हैं।	

मेरे द्वारा दिया गया उक्त विवरण सत्य है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा एवं मेरे परिवार से इस योजना के अन्तर्गत दी गयी धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भॉति वसूल ली जायेगी।

प्रधानमंत्री मान-धन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आधार नम्बर के प्रयोग हेतु मेरी सहमति है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
कृषक से सम्बन्ध: स्वयं/पति/पत्नी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।